निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–A002/12
दायरा दिनांक :– 16.01.12
निर्णय दिनांक :– 10.11.22

उनवान

01. शिवलाल उर्फ कल्लू पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाटव निवासी इन्द्र कॉलोनी, छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां –मृतक

1/1. जमनालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/2. चन्दालाल उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/3. सूरजमल उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/4. कमल सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/5. सुशीला बाई उम्र 70 वर्ष बेवा पुत्रीस्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
6/6. मोहनी बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू जातिगण जाटव निवासीगण इन्द्र कॉलोनी, छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

02. रामरतन पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाटव निवासी इन्द्र कॉलोनी, छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) –मृतक

2/1. रानी उम्र 42 वर्ष बेवा स्व0 श्री रामरतन
2/2. नीरज उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामरतन
2/3. राजेश्वरी उम्र 24 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामरतन जातिगण जाटव निवासीगण ए–ब्लॉक, श्रीनाथपुरम खैलेजा बिल्डिंग के पास,कोटा

03. छगनलाल पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाटव निवासी इन्द्र कॉलोनी, छबडा तहसील छबडा जिला बारां –वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 10.11.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर टी एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम फतेहपुर तहसील बारां में खसरा नं. 691 रकबा 0.66 है0 मासूम तलाई वाली टूकडी किस्म नहरी प्रथम स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान समय में मन्नी बाई बेवा गुलाबचन्द जाति जाटव के नाम बतोर खातेदार कृषक अंकित है मन्नी बाई का दिनांक 22.7.2009 को देहान्त हो गया है।ग्राम फतेहपुर तहसील बारां में गुलाबचन्द पुत्र गंगाराम जाति [illegible] निवास करते थे उनकी शादी मन्नी बाई से हुयी थी जो वादीगण की सगी बहिन थी। [illegible] कोई सतांन नहीं हुयी तथा पहले गुलाब चन्द व बाद में मन्नी बाई ला औलाद फौत हो गये। गुलाब चन्द जी के परिवार में कोई वारिस नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:28:03 IST
Reason: Self Attested

ZZ

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

है। इस कारण गुलाबचन्द जी के जाने के बाद वादग्रस्त भूमियां मन्नी बाई के नाम दर्ज हुई। चूंकि मन्नी बाई भी अकेली थी इस कारण गुलाबचन्द जी की मृत्यु के बाद वह छबड़ा वादीगण के पास जाकर रहने लग गई जहां वादीगण ही उसके देखभाल करते थे तथा मन्नी बाई की दिनांक 22.07.09 को छबड़ा में मृत्यु हो गयी । इस प्रकार मन्नी बाई का वारिस वादीगण है क्योंकि हिन्दू कानून के अनुसार नारी के उत्तराधिकार में धारा 15 में बिना वसीयत मृत्यु होने पर प्रथम वाद में(घ) वर्णित पिता के वारिसों में वादीगण आते है। तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ही काबिज चले आ रहे है क्योंकि सभी वारिसों के जीवन काल में ही गुलाबचन्द जी फोत होने बाद में जब वह छबड़ा हमारे पास रहने गयी थी तभी से वादीगण के पास ही रह रही थी एवं उसकी मृत्यु पर वादीगण ने ही उसका समस्त क्रिया कर्म किया था वाद कारण दिनांक 22. 07. 2009 को मन्नी बाई का देहान्त हो जाने के कारण तथा दिनांक 31.12.2011 तक प्रतिवादी कम 1 द्वारा कोई सहायता नहीं पहुचाने के कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2056–59 खाता सं0 115, नकल नामा0 सं0 113,ग्राम फतेहपुर मृत्यु प्रमाण पत्र मन्नी बाई दिनांक 27.07.2009, वारिस प्रमाण पत्र नगर पालिका उपाध्यक्ष, हल्का पटवारी छबडा एवं बॉर्ड पार्षद नगर पालिका छबडा पेश किया गया। शोक संदेश श्रीमति मन्नीबाई की मृत्यु का, मृत्यु प्रमाण पत्र शिवलाल उर्फ कल्लू, मृत्यु की दिनांक 1. 10.2021, मृत्यु प्रमाणपत्र रामरतन की मृत्यु की दिनांक 14.01.2020, 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र वादीगण बाबत अखबार की प्रति दिनांक 11.07.2022 जिसमें वादीगण बावत आम सूचना प्रसारित करवायी गयी पेश किया गया साक्ष्य वादी में जमनालाल के बयान लिये गये।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई :–

<u>तनकी नं. 1</u> आया कि विवादित आराजी वाके ग्राम फेतहपुर के खसरा नं. 691 रकबा 0.66 है0 मासूम तलाई वाली टूकडी मन्नीबाई बेवा गुलाबचन्द जाति जाटव के नाम बतौर खातेदार दर्ज है की गुलाबचन्द के फोत होने पर आई है
–वादीगण

<u>तनकी नं. 2</u> आया कि गुलाबचन्द व मन्नीबाई ला औलाद फोत हुए है तथा वादीगण मन्नी बाई के वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है अस्तु आराजी अपने खाते दर्ज करा पाने के अधिकारी है।
–वादीगण

<u>तनकी नं. 3</u> आया कि वाद हिन्दू उत्तराधिकार विधि के निहित प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है
– प्रतिवादीगण

<u>तनकी नं. 4</u> आया कि वाद में मृतक गुलाबचन्द के दामादों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसका वाद पर क्या असर है।
–प्रतिवादीगण

<u>तनकी नं. 5</u> अनुतोष

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गयी बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील बारां में स्थित है जिसकी खातेदार मन्नीबाई बेवा गुलाबचन्द जाति जाटव निवासी फतेहपुर है मन्नी बाई का दिनांक 22.07. 2009 को स्वर्गवास हो गया है मन्नी बाई, गुलाबचन्द की पत्नी थी जो वादीगण की सगी बहिन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

ZZ

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

मुआ थी गुलाबचन्द व मन्नी बाई के कोई सतांन नहीं हुयी पहले गुलाबचन्द बाद में मन्नीबाई ला औलाद फोत हो गयी है गुलाब चन्द के परिवार में कोई वारिस नहीं है गुलाबचन्द के मरने के बाद मन्नीबाई के नाम भूमि दर्ज हुयी मन्नीबाई अकेली थी व वादीगण अपने भाईयों के पास छबडा जाकर रहने लगी वादीगण ने उसकी देखभाल की तथा दिनांक 22.07.2009 को छबडा में उसकी मृत्यु हो गयी मन्नीबाई के वारिस वादीगण है हिन्दू कानून के अनुसार हिन्दू नारी के उत्तराधिकार में धारा 15 में बिना वसियत मृत्यु होने पर प्रथम वाद में (घ)वर्णित पिता के वारिसों में वादीगण आते है वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है वादीगण का वाद स्वीकार किया जा कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादीगण के वाद का तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकी नं.1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2056-59 खाता सं. 115 के अनुसार गुलाबचन्द पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी फतेहपुर के नाम दर्ज होना पाया जाता है जमाबन्दी के कॉलम सं. 13 से 16 में नामा0 सं0 706 दिनांक 03. 08. 2001 से मृतक गुलाबचन्द के स्थान पर बेवा मन्नी बाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल नामा. सं. 113 ग्राम फतेहपुर के अनुसार खसरा नं. 691 रकबा 0.83 है0 भूमि को जर्ये रजि0 विक्रय पत्र से खरीदने पर नामा. दर्ज किया गया है नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2009 के अनुसार मन्नीबाई की मृत्यु दिनांक 22.7. 2009 को होना दर्ज है नगर पालिका उपाध्यक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक मन्नीबाई के वारिसान वादीगण ही होना बताया है हल्का पटवारी छबडा एवं वार्ड पार्षद की रिर्पोट के अनुसार मृतक मन्नीबाई के वारिस वादीगण ही होना बताया है तथा हल्का पटवारी फतेहपुर तहसील बारां से रिर्पोट प्राप्त की गई पटवारी हल्का फतेहपुर द्वारा बताया कि ग्राम फतेहपुर में मन्नी बाई पत्नि गुलाबचन्द जाति जाटव निवासी फतेहपुर के वारिसान सम्बन्धी जांच की गई। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र मन्नी बाई पत्नि गुलाबचन्द जाति जाटव निवासी फतेहपुर का फौत होना पाया गया। मृतक मन्नी बाई के वारिसान की जानकारी की गई। मृतका मन्नी के पुत्र पुत्री नहीं है। मृतका लाओलाद फौत हुई है। इससे यह साबित होता है कि मृतक खातेदार गुलाबचन्द द्वारा भूमि कय की गई थी जिसका नामा. सं. 113 दर्ज किया गया है खातेदार गुलाबचन्द की मृत्यु के बाद उसकी बेवा पत्नी के नाम भूमि दर्ज की गई है वर्तमान में भूमि कृषक बेवा मन्नीबाई के खातेदारी में दर्ज है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है

तनकी नं. 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था प्रस्तुत नगर पालिका छबडा के उपाध्यक्ष के वारिस प्रमाण पत्र हल्का पटवारी छबडा की रिर्पोट एवं वार्डपार्षद छबडा के अनुसार वादीगण मृतक मन्नीबाई के वारिसान है मन्नीबाई ला औलाद फोत होने पर उसके वारिसान उसके भाई है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है वादीगण जमनालाल व अन्य के द्वारा 100/- के स्टाम्प पर शपथ पत्र वादीगण वारिस होने का दिया गया है। तथा मृतक मन्नीबाई के अन्य कोइ वारिस होने बाबत दैनिक पैंतरा समाचार पत्र दिनांक 13.07.2022 में आम सूचना प्रकाशित करवायी गई जिसमें मृतक मन्नीबाई के ओर कोई वारिस हो वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है परन्तु अन्य कोई वारिस मन्नीबाई का वादिगण के अलावा नहीं है उक्त दस्तावेज एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि वादीगण मृतक मन्नीबाई के वारिसान है अन्य कोई वारिस नहीं है वादीगण विवादित आराजी को अपने खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

zz

Scanned with CamScanner

तनकी नं. 3 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गई जिससे वादीगण मृतक मन्नीबाई के वारिस नहीं होना साबित हो सके हिन्दू कानून के अनुसार हिन्दू नारी के उत्तराधिकार में धारा 15 में बिना वसीयत मृत्यु होने पर पत्नी के दामादों को स्वामित्व अधिकार होता है परन्तु पत्नि के दामाद नहीं होने के कारण माता–पिता के दामादों का स्वामित्व व अधिकार बनता है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था यदि मृतक गुलाबचन्द के वारिसान है तो प्रतिवादी को अपना जवाब एवं जांच रिर्पोट प्रस्तुत कर बताना चाहिए था यदि गुलाबचन्द के दामादों को तब पक्षकार बनाया जाता है तब उनके कोई दामाद होते मृतक मन्नीबाई के वारिसान वादीगण है इसलिए वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का निवेदन किया है वादीगण मृतक मन्नीबाई के जायज वारिस है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाति है।

उपरोक्त तनकियात के विवेचन से यह साबित होता है कि खातेदार गुलाबचन्द व मन्नीबाई की ला औलाद मौत हुई है उनके कोई वारिस नहीं था मन्नीबाई के वारिसान उनके भाई व भाई की संतानें है जो वादीगण है इनके अलावा और कोई वारिस नहीं है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जााता है विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तह0 बारां की आराजी खसरा नं0 691 रकबा 0.66 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारांजिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 02/2012	धारा अन्तर्गत 88,89,90,91,92, आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :-
समक्ष श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी- श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादी-	

वाद शीर्षक

उनवान

01. शिवलाल उर्फ कल्लू पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाटव निवासी इन्द्र कॉलोनी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां —मृतक

1/1. जमनालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/2. चन्दालाल उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/3. सूरजमल उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/4. कमल सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
1/5. सुशीला बाई उम्र 70 वर्ष बेवा पुत्रीस्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू
6/6. मोहनी बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री स्व0 श्री शिवलाल उर्फ कल्लू जातिगण जाटव निवासीगण इन्द्र कॉलोनी, छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)

02. रामरतन पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाटव निवासी इन्द्र कॉलोनी, छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0) —मृतक

2/1. रानी उम्र 42 वर्ष बेवा स्व0 श्री रामरतन
2/2. नीरज उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामरतन
2/3. राजेश्वरी उम्र 24 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामरतन
जातिगण जाटव निवासीगण ए-ब्लॉक, श्रीनाथपुरम खैलेजा बिल्डिंग के पास,कोटा

03. छगनलाल पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाटव निवासी इन्द्र कॉलोनी, छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां —वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां —प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जााता है विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तह0 बारां की आराजी खसरा नं0 691 रकबा 0.66 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 10·11·22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला-बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner